

पत्रांक-7/फा0-11-01/2018-42(7)A
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें
फाईलेरिया नियंत्रण, स्वास्थ्य भवन, सुल्तानगंज, पटना-6
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सूची संलग्न)

पटना, दिनांक 01-10-2018

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210061010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्तों तथा अन्य मदों में कुल ₹9,77,84,200/- (नौ करोड़ सतहत्तर लाख चौरासी हजार दो सौ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-16(7)ब दिनांक-12.06.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्तों तथा अन्य मदों में कुल ₹9,77,84,200/- (नौ करोड़ सतहत्तर लाख चौरासी हजार दो सौ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी गैर योजना व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210061010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आयोजना भिन्न में उपबन्धित राशि से की जायगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ (फाईलेरिया नियंत्रण) बिहार, पटना तथा सम्बंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे । इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।


8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।


1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
10. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्थापना कर्मियों का वेतन भुगतान प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,




(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव



ज्ञापक : 42(7)0

पटना, दिनांक : 01-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं प्र0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव


विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित फाइलोरिया नियंत्रण उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	विक्रिता भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	विक्रिता प्रतिपूर्ति (06-01)	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	वर्दी/पोषाक (13-06)	प्रशिक्षण व्यय (20-03)	सामग्री एवं पुस्तियाँ (21-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	भोजपुर (आरा)	2600000	312000	286000	0	104000	46800	3348800	0	0	0	5000	0	0	3353800	52/27.8.18
2	रोहतास	7000000	840000	770000	0	280000	126000	9016000	0	0	0	0	0	0	9016000	122/28.8.18
3	जहानाबाद	2200000	264000	242000	0	88000	39600	2833600	0	0	0	0	0	0	2833600	172/8.9.18
4	मधुबनी	5000000	600000	550000	0	200000	90000	6440000	0	10000	10000	5000	0	10000	6475000	141/19.9.18
5	दरभंगा	7000000	840000	770000	0	280000	126000	9016000	0	10000	10000	5000	0	10000	9051000	161/16.8.18
6	अपर निदेशक, फाइलोरिया	12000000	1800000	1920000	100000	480000	228000	16528000	50000	0	0	0	10000	0	16588000	509/6.8.18
7	हाजीपुर, वैशाली	2800000	336000	308000	0	112000	50400	3606400	0	0	6000	0	0	0	3612400	116/20.9.18
8	गया	2500000	300000	275000	0	100000	45000	3220000	0	0	0	0	0	0	3220000	
9	नवादा	900000	108000	99000	0	36000	16200	1159200	0	0	0	0	0	0	1159200	
10	छपरा, सारण	800000	96000	88000	0	32000	14400	1030400	0	0	0	0	0	0	1030400	
11	सीतामढ़ी	800000	96000	88000	0	32000	14400	1030400	0	0	0	0	0	0	1030400	
12	सहस्सा	1200000	144000	132000	0	48000	21600	1545600	0	0	0	0	0	0	1545600	
13	समस्तीपुर	1200000	144000	132000	0	48000	21600	1545600	0	0	0	0	0	0	1545600	
14	पूर्णिया	1400000	168000	154000	0	56000	25200	1803200	0	0	0	0	0	0	1803200	
15	पटना	12000000	1440000	1320000	100000	480000	216000	15556000	0	0	0	0	0	0	15556000	
16	भागलपुर	2600000	312000	286000	0	104000	46800	3348800	0	0	0	0	0	0	3348800	
17	सिवान	1000000	120000	110000	0	40000	18000	1288000	0	0	0	0	0	0	1288000	
18	बिहारशरीफ, नालन्दा	2100000	252000	231000	0	84000	37800	2704800	0	0	0	0	0	0	2704800	
19	मुजफ्फरपुर	1400000	168000	154000	0	56000	25200	1803200	0	0	0	0	0	0	1803200	
20	मुंगेर	2600000	312000	286000	0	104000	46800	3348800	0	0	0	0	0	0	3348800	
21	सातियाही, पूरुबप्रयाग	2600000	312000	286000	0	104000	46800	3348800	0	0	0	0	0	0	3348800	
22	कटिहार	1000000	120000	110000	0	40000	18000	1288000	0	0	0	0	0	0	1288000	
23	बेगूसराय	1400000	168000	154000	0	56000	25200	1803200	0	0	0	0	0	0	1803200	
24	बेतिया, प० चम्पारण	800000	96000	88000	0	32000	14400	1030400	0	0	0	0	0	0	1030400	
	कुल	74900000	9348000	8839000	200000	2996000	1360200	97643200	50000	20000	26000	15000	10000	20000	97784200	

(नौ करोड़ सतहत्तर लाख चौरासी हजार दो सौ) रु० मात्र

42 (7) A
01-10-18

Q.1018

सरकार के विशेष सचिव
बेनास

उपबंध की स्थिति

-- 4 --

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	20778000	10820000	7490000	18310000	24680000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	3116700	1334400	934800	2269200	8475000
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	3324400	1202200	883900	2086100	12383000
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	853000	500000	200000	700000	153000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	8532000	4328000	2996000	7324000	1208000
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	3882000	2028400	1360200	3388600	493400
	योग 20-2210.06.101.0002.01 वेतन	285458000	140422400	97643200	238065600	47392400
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	300000	27511	50000	77511	222489
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	200000	108000	20000	128000	72000
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	300000	145000	26000	171000	129000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखवा (0002-13-02)	90000	45000	0	45000	45000
11	दूरभाष (0002-13-03)	50000	25000	0	25000	25000
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	30000	15000	0	15000	15000
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	100000	48000	0	48000	52000
14	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	66000	39000	15000	54000	12000
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	550000	264000	0	264000	286000
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	1500000	0	10000	10000	1490000
17	सामग्री एवं पूर्ति (0002-21-01)	400000	215000	20000	235000	165000
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
19	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	200000	102000	0	102000	98000
	कुल योग:-	289245000	141455911	97784200	239240111	50004889

42(7)A
01-10-18

सरकार के विशेष सचिव
रक्षा